राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी (राकार्स)

÷: संघ विधान पत्र ::

1· संस्था का नाम : इस संस्थान का नाम राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी (राकार्स) है व रहेगा ।

2· पंजीकृत कार्यालयतथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जोशी भवन, ओ०डी०एस रोड, गोविन्दगढ जिला जयपुर है । तथा कार्य क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3· संस्था के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(1) उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा संरक्षण व वृद्धि के लिये विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियां आयोजन करना, योजनायें तैयार करना तथा उन्हे सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वंय क्रियान्वित करना । उपभोक्ता संरक्षण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े मुद्दो व विषयो पर कार्य करना ।

(2) उपभोक्ताओं या आम जनता के हितो के लिए विभिन्न संस्थान, समितियाँ प्रकोष्ठ, जागृति व शिक्षण केन्द्र तथा समस्या समाधान केन्द्रो की स्थापना करना । विभिन्न विषयो पर अध्ययन व सर्वे करना और रिपोर्ट साहित्य पुस्तके व पत्रिकाएं प्रकाशित करना ।

(3) पर्यावरण, स्वास्थ्य जागृति, जनशक्ति बोध एवं बालको, महिलाओं के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें तैयार करना । अध्ययन करना, साहित्य प्रकाशित करना और स्वंय अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

(4) पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रो, सन्दर्भ केन्द्रो आदि की स्थापना करना एवं जानकारी [illegible] सूचनाएं उपलब्ध कराने के तन्त्र के रूप में कार्य करना यदि जरूरी हो तो शासन प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सुझाव देने या उनको मदद करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

(5) [illegible] उद्देश्यो हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वंयसेवी समूहो को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना

6. उपभोक्ता क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगशालाओं, परीक्षण केन्द्रो की स्थापना करना । वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोष्ठियां सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व खुला मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना ।

7. समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यवाही कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग करना, उनसे सहयोग लेना, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से व सरकारी के साथ मिलकर कार्य करना उनसे सम्बद्ध होना ।

8. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं गतिविधियां करना उद्देश्यों की पूर्ती हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, चैरिटी शो, पुरस्कार योजनायें आयोजित करना व अन्य संस्थाओं व नागरिकों से आर्थिक सहयोग लेना ।

नोट :- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती में कोई लाभ निहित नहीं है ।

§4§ संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है.

क्र0सं0	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	सत्यनारायण शर्मा S/o श्री अमरचन्द शर्मा	समाजसेवा	O.B.S. Road गोविन्दगढ़ (जयपुर)	अध्यक्ष
2.	प्रदीप जोशी S/o श्री रामचन्द्र जोशी	L.I.C. Agent	पोस्ट ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	उपाध्यक्ष
3.	[illegible] S/o श्री मदनमोहन शर्मा	समाजसेवा	मु.पो. [illegible] जिला [illegible]	[illegible]
4.	मुकेश कुमावत S/o श्री [illegible] कुमावत		पुराने [illegible] के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
5.	[illegible] शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible] गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
6.	[illegible] कुमार शर्मा S/o श्री अमरचन्द शर्मा	व्यवसाय	शर्मा इलेक्ट्रिक, [illegible] V.P.O. गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
7.	[illegible] द्रोपदी शर्मा W/o श्री केदार प्रसाद शर्मा	-	V.P.O. [illegible] जिला जयपुर (राज.)	[illegible]
8.	[illegible] शर्मा S/o श्री रामगोपाल शर्मा		[illegible] के पास [illegible] (सीकर)	[illegible]
9.	सुभाष चन्द शर्मा S/o श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	व्यवसाय	V.P.O. [illegible] वाया गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
10.	राधेश्याम वर्मा S/o हरदेवराम वर्मा	अध्यापक	V.P.O. [illegible] वाया [illegible] (जयपुर)	[illegible]

सत्यनारायण शर्मा

मुकेश कुमावत

राधेश्याम वर्मा

...3.

(5) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है : इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible] शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा	समाजसेवा	O.P.S Road गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
2.	प्रदीप जोशी S/o श्री रामचन्द्र जोशी	L.I.C. Agent	पोस्ट ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
3.	[illegible] S/o श्री मदनमोहन शर्मा	समाजसेवा	[illegible] जिला - [illegible]	[illegible]
4.	मुकेश कुमावत S/o श्री रूपनारायण कुमावत		पुराने [illegible] के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	मुकेश कुमावत
5	कन्हैया लाल शर्मा S/o स्व. श्री मुरलीधर शर्मा	[illegible] (राजकीय सेवा)	पोस्ट ऑफिस के पास गोविन्दगढ़ (जयपुर)	[illegible]
6	राकेश कुमार शर्मा S/o श्री [illegible]	व्यवसाय	[illegible] गोविन्दगढ़ (जिला जयपुर)	[illegible]
7	श्रीमती द्रोपदी शर्मा W/o श्री केदारप्रसाद शर्मा		V. Po [illegible] जिला जयपुर (राज०)	द्रोपदी शर्मा
8	ब्रजकिशोर शर्मा S/o श्री रामगोपाल शर्मा		गीता भवन के पास श्रीमाधोपुर (सीकर)	[illegible]
9	सुगन चन्द्र गर्ग S/o श्री दामोदर प्रसाद गर्ग		मु०पो० [illegible] (वीरठा) वाया- गोविन्दगढ़ (जयपुर)	सुगनचन्द्र [illegible]
10	राधेश्याम वर्मा S/o हरदेव राज वर्मा	अध्ययनरत	V.P.O. लोहरवाड़ा वाया उदयपुरिया जिला जयपुर 303807	[illegible]

[illegible] शर्मा मुकेश कुमावत [illegible]

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है । हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है ।

सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

[illegible]

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible] 3
(5) [illegible] 22.5.95
(6) [illegible]

हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

राकेश शर्मा [illegible]
[illegible]
[illegible] (राजस्थान)
[illegible] 302001.

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी (राकार्स)

:: संघ विधान पत्र ::

1. संस्था का नाम : इस संस्थान का नाम राजस्थानी कंज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी (राकार्स) है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालयतथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जोशी भवन, ओ0बी0एस0 रोड, गोविन्दगढ जिला जयपुर है। तथा कार्य क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(1) उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा संरक्षण व वृद्धि के लिये विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियां आयोजन करना, योजनायें तैयार करना तथा उन्हे सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वंय क्रियान्वित करना। उपभोक्ता संरक्षण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुडे मुद्दो व विषयो पर कार्य करना।

(2) उपभोक्ताओं या आम जनता के हितो के लिए विभिन्न संस्थान, समितियां प्रकोष्ठ, जागृति व शिक्षण केन्द्र तथा समस्या समाधान केन्द्रो की स्थापना करना। विभिन्न विषयो पर अध्ययन व सर्वे कराना और रिपोर्ट साहित्य पुस्तके व पत्रिकाएं प्रकाशित करना।

(3) पर्यावरण, स्वास्थ्य जागृति, जनशक्ति बोध एवं बालको, महिलाओ के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें तैयार करना। अध्ययन करना, साहित्य प्रकाशित करना और स्वंय अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं की क्रियान्विति करना।

(4) पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रो, सन्दर्भ केन्द्रो आदि की स्थापना करना एवं जानकारी व सूचनाएं उपलब्ध कराने के तन्त्र के रूप में कार्य करना यदि जरूरी हो तो शासन प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सुझाव देने या उनकी मदद करना व आपसी समन्वय को बढावा देना।

(5) समान उद्देश्यो हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वंयसेवी समूहो को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढावा देना

(6) उपभोक्ता हित में विभिन्न प्रयोगशालाऐं, परीक्षण केन्द्रो की स्थापना करना। वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोष्ठियां, सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व खुला मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।

स. ला. शर्मा   मुकेश कुमार

7· समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यवाही कर रही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग दे करना, उनसे सहयोग लेना, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को व सरकारी के साथ मिलकर कार्य करना उनसे सम्बन्ध होना ।

8- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करना, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग और पुरस्कार योजनायें आयोजित करना व अन्य संस्थाओं व नागरिकों से आर्थिक सहयोग लेना ।

नोट :- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

4· सदस्यता — निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :

1- संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो ।

2- बालिग हो ।

3- पागल व दीवालिये न हो ।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो ।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो ।

5· सदस्यों का वर्गीकरण: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे ।

(1) संरक्षक

(2) विशिष्ठ

(3) सक्रिय

(4) साधारण

6- सदस्यों द्वारा उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार प्रदत्त शुल्क व चन्दा शुल्क व चन्दा देय होगा ।

1· संरक्षक रुपये 1100/- वार्षिक

2· विशिष्ठ रुपये 200/- वार्षिक

3· सक्रिय रुपये 21/- वार्षिक

4· साधारण निःशुल्क

नोट: साधारण सदस्यों को चुनाव लड़ने व मत देने का व कार्यकारिणी के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा

(उक्त राशी एकमुश्त जमा करायी जा सकेगी)

7· सदस्यता से निष्कासन — संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:

(1) मृत्यु होने पर

(2) त्याग पत्र देने पर

(3) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

(4) कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर.

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णत अंतिम होगा।

8· साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगें।

9· साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : 1- प्रबन्धकारिणी साधारणसभा के निम्न अधिकार व कर्तव्य होगें:

§1§ प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

§2§ वार्षिक बजट पारित करना।

§3§ प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टी करना

§4§ संस्था के कुल सदस्यों 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

§ जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा। §

10· साधारण सभा की बैठकें : साधारण सभा एक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

§2§ साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा

§3§ बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 §तीन§ दिन पूर्व दी जावेगी।

§4§ कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जासकेगी जो पुनः 7दिन पश्चात् निधारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यक नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेण्डा में थे।

§5§ संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर महासचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निधारित अवधि में अध्यक्ष/महासचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

11-कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें :

सत्यमेव जयते

मुकेश कुमावत

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

§1§ अध्यक्ष- एक
§2§ वरिष्ठ उपाध्यक्ष- एक
§3§ उपाध्यक्ष- छः §6§
§4§ महासचिव- एक
§5§ सचिव- आठ §8§
§6§ कोषाध्यक्ष- एक
§7§ सदस्य- पन्द्रह §15§

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 18 पदाधिकारी व 15 सदस्य कुल 33 सदस्य होगें ।

12-कार्यकारिणी का निर्वाचन

§1§ संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधी के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा ।

§2§ चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

§3§ चुनाव अधिकारी की नियुक्ती प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।

13-कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी को निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें:

§1§ सदस्य बनाना/ निष्कासित करना ।

§2§ वार्षिक बजट तैयार करना ।

§4§ संस्था की सम्पत्ति की रक्षा करना ।

§4§ संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

§5§ वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ती करना तथा उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना ।

§6§ कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

§7§ अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना ।

14- कार्यकारिणी की बैठके

§1§ कार्यकारिणी को एक वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगीं , लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/महासचिव महासचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

§2§ बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी को कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

§3§ बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन के पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकेगी ।

§4§ कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होगें, जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के ....

सत्यमेव जयते

के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा ।

15- प्रबन्धकारिणी संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार के पदाधिकारियों होंगे :-

अधिकार एवं कर्तव्य

§1§ अध्यक्ष

§1§ बैठकों की अध्यक्षता करना ।

§2§ मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

§3§ बैठके आहूत करना ।

§4§ संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

§5§ संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

§2§ वरिष्ठ उपाध्यक्ष:

§1§ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

§2§ प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना ।

//3// उपाध्यक्ष

§1§ उपाध्यक्ष अध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

§2§ प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

§4§ महासचिव

§1§ बैठके आहूत करना ।

§2§ कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड करना ।

§3§ आय व्यय पर नियन्त्रण करना ।

§4§ वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

§5§ संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

§6§ पत्र व्यवहार करना ।

§7§ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य कार्यवाही

5 सचिव :

§1§ महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

§2§ अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/महासचिव द्वारा सौंपे जायें ।

मुकेश रावत

§5§ कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना ।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा ।

§1§ चन्दा §2§ शुल्क

§3§ अनुदान §4§ प्रशिक्षण व पंजीयन राशी/प्रकाशन

§5§ सहायता §6§ ऋण

§7§ राजकीय अनुदान §8§ मानदेय/पारिश्रमिक

§9§ चैरीटी शो ।

§1§ उक्त प्रकार से संचित राशी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एवं/अथवा डाकघर में सुरक्षित की जायेगी ।

§2§ अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैंक से लेन देन सम्भव होगा।

17- कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार पदाधिकारी संस्था की राशी एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

§1§ अध्यक्ष- 20,000/- रुपये

§2§ महासचिव 8,000/- रुपये

§3§ कोषाध्यक्ष- 1,000/-रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा । अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।

18- संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखो जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा ।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

सुरेन्द्र कुमावत

20· संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21· संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान रूरल राजस्थानी कम्यूनिटी अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी (राकार्स) की सही व सच्ची प्रतिलिपी है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Regn. No. 244/JP/97

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date 23.06.2004

तुलनात्मक स्टेटमैंट

क्र.सं.	विधान की धारा सं.	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नये नियम)
1.	1 से 8 पूर्ववत	9 से 15	9 से 15 और जोड़े गये है।

विधान की धारा सं. 1 से जो यथावत है :-

(1) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा संरक्षण व वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियाँ आयोजन करना, योजनायें तैयार करना तथा उन्हे सहयोगी संस्थाओं के साथ अथवा स्वंय क्रियान्वित करना। उपभोक्ता संरक्षण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े मुद्दो व विषयों पर कार्य करना।

(2) उपभोक्ताओं या आम जनता के हितों के लिए विभिन्न संस्थान, समितियाँ, प्रकोष्ठ, जागृति व शिक्षा केन्द्र तथा समस्या समाधान केन्द्रों की स्थापना करना। विभिन्न विषये पर अध्ययन एवं सर्वे कराना एवं रिपोर्ट सहित पुस्तकें एवं पत्रिकाऐं प्रकाशित करना।

(3) पर्यावरण स्वास्थ्य जागृति जनजाति, बालिका एवं बालकों, महिलाओं के विकास और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम और योजनाऐं तैयार करना। अध्ययन करना, साहित्य प्रकाशित करना और स्वंय अथवा सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं की क्रियान्वित करना।

....2

Regn. No. 244/JP/97

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date.......................

14। पुस्तकालय, दस्तावेज केन्द्रों, डेटा केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं जानकारी व सूचनाएँ उपलब्ध कराने के तन्त्र के रूप में कार्य करना, यदि जरूरी हो तो शासन प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सुझाव देने या उनकी मदद करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

15। समान उद्देश्यों हेतु नई संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी समूहों को प्रेरित करना एवं अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना व आपसी समन्वय को बढ़ावा देना ।

16। उपभोक्ता हित में विभिन्न प्रयोगशालाओं, परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना । वस्तुओं का मानक तय करने में मदद करना, गोष्ठियाँ सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान व खुला मंच जैसे कार्यक्रम आयोजित करना ।

17। समान उद्देश्यों हेतु विभिन्न सरकारी स्तर पर कार्यरत कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग करना उनसे सहयोग लेना राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की व सरकारों से मिलकर कार्य करना उनसे सम्बद्ध होना ।

18। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं गतिविधियाँ करना उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, चैरिटी शो, पुरस्कार योजनायें आयोजित करना व अन्य संस्थाओं व नागरिकों से आर्थिक सहयोग लेना ।

<u>विधान में संशोधित किये गये नियम । नये नियम /उद्देश्य ।</u>

19। पर्यावरण संरक्षण बालक, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का प्रचार-

..3

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

Regn. No. 244/JP/97

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date..........................

प्रसार करना एवं इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षण संस्था व व्यावसायिक, प्रोफेशनल शिक्षण संस्थापित करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षण, साक्षरता/पूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम चलाना एवं मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित समस्त कार्य करना।

॥10॥ समाज के हित के लिए चिकित्सा शिविर राज्य/ केन्द्र सरकार/ राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं व अन्य स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से आयोजन करना व समाज के हितों में मेडिकल संस्थान स्थापित करना, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज व इससे संबंधित अन्य प्रकार के संस्थान स्थापित करना ।

॥11॥ समाज के हितों में जनजागृति शिविर लगाना, जनता में फैली कुरीतियों के संबंध में जनता को जागरूक करने एवं सरकारी/ व गैर सरकारी, राज्य/राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना ।

॥12॥ कुटीर उद्योग धन्धों के संबंध में संस्थान स्थापित करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।

॥13॥ महिलाओं / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना व सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना व इस हेतु जागृति शिविर आयोजन करना व समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने व इसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ बनाना व इसके लिए नीतियाँ बनाना व विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करना ।

सौजन्य से—राधामोहन मालपानी D 88, अनाज मण्डी, चांदपोल जयपुर ✆ 365892
विठ्ठलदास, प्रमोदकुमार गोविन्दगढ़ (जयपुर) ✆ 35580

A.K. Vaneths

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Regn. No. 244/JP/97

Rajasthani Consumers Awareness And Research Society "RACARS"

राजस्थानी कन्ज्यूमर्स अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सोसायटी "राकार्स"

Pt Satya Narayan Sharma
State President
PHONE : 01423-35522

REGD. OFFICE:-
JOSHI ESTATE, O.B.S. ROAD,
GOVINDGARH (JAIPUR) RAJ

Ref

Date........................

॥ 4 ॥

॥14॥ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण एवं लोक संस्कृति का संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

॥15॥ महिला/विधवा/परित्यक्ताओं/मंद बुद्धि के बालक-बालिकाओं व निःशक्त जनों के विकास एवं बहुमुखी उन्नयन के लिये नये प्रकोष्ठ कायम करना व इसके हेतु राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना। सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम चलाना एवं इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार आदि का सहयोग प्राप्त करना करना एवं सहयोग प्रदान करना। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए आश्रम आदि की स्थापना करना, सरकारी व गैर सरकारी/ एन.जी.ओ. आदि की सहायता प्राप्त कर स्थापित करना।

नोट: उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner